महत्वपूर्ण एवं खास

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण 13 जून को

रायगढ़ । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 18 वीं कड़ी का प्रसारण 13 जून रविवार को होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के विस्तार पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफ.एम. रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10.30 से 11 बजे तक होगा।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को 'छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन'

रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास प्रोटोकॉल के अनुसार 'छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन' का आयोजन किया जा रहा है। मैराथन में सम्मिलित होने के लिए 5 जून से 15 जून 2021 तक http:// jansampark .cg .gov.in/yogwithchhattisgarh/Registration.aspx लिंक पर क्लिक कर पंजीयन कराया जा सकता है। सभी पंजीयनकर्ताओं को डिजिटल प्रणाम पत्र प्रदान किया जाएगा। साथ ही हर जिले के प्रथम 100 पंजीयन को टीशर्ट प्रदान किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन में भाग लेने हेतु आवेदक को योगासन करते हुए अपना फोटो/वीडियो अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स पर है #yogwithchhattisgarh #yogwithchhattisgarh के साथ शेयर करना है। इसके अलावा प्रतिभागी अपना फोटो/वीडियो internationalyogaday2021@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं।

7 जून को आयोजित समस्त प्रकरणों की पेशी अब 26 जुलाई को

रायगढ़ । कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत न्यायालय कलेक्टर रायगढ़ में 7 जून 2021 को नियत समस्त प्रकरणों (आदेश हेतु नियत प्रकरणों को छोड़कर)की सुनवाई आगामी पेशी 26 जुलाई 2021 के लिये नियत किया जाता है।

हावड़ा-अहमदाबाद के मध्य आज से चलेगी साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

रायपुर (आरएनएस)। यात्रियो की सुविधा के लिए हावड़ा-अहमदाबाद के मध्य 4 फेरों के लिए साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा आज से शुरू होने जा रही है। यह गाड़ी हावड़ा से अहमदाबाद के लिये प्रत्येक सोमवार दिनांक 07, 14, 21,28 जून को 02412 नंबर के साथ चलेगी। यह स्पेशल ट्रेन हावड़ा से 14.35 बजे रवाना हो कर अगले दिन 01.15 बजे बिलासपुर, 03.00 बजे रायपुर, 04.00 बजे दुर्ग होते हुए रात 00.20 बजे अहमदाबाद पहुँचेगी। इसी प्रकार यह ट्रेन अहमदाबाद से हावड़ा के लिए प्रत्येक बुधवार दिनांक 09, 16, 23, 30 जून 2021 को 02411 नंबर के साथ चलेगी। यह ट्रेन अहमदाबाद से 16.30 बजे रवाना होकर अगले दिन 13.40 बजे दुर्ग, 14.15 बजे रायपुर , 16.00बजे बिलासपुर होते हुए 05.15 बजे हावड़ा पहुंचेगी। इस गाड़ी में 02 एसएलआर, 04 सामान्य तथा 16 स्लीपर सहित कुल 22 कोच रहेंगे ।

जल जीवन मिशन के कार्यों में लाये तेजी-कलेक्टर

» कलेक्टर भीम सिंह ने जल जीवन मिशन की ली समीक्षा बैठक

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला जल स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत किये जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल उपस्थित रहे। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन अंतर्गत सभी कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना है। सभी संबंधित विभाग उनको मिले कार्य को पूरी गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा करना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर सिंह ने जल जीवन मिशन की अद्यतन प्रगति एवं निविदाओं की स्वीकृति के अनुमोदन पर चर्चा की। ईई पीएचई संजय सिंह ने बताया कि रेट्रोफिटिंग योजना के 145, सिंगल विलेज योजना के 76, सोलर योजना के 270 सहित कुल 491 योजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है तथा 252 योजनाओं की निविदायें जारी की जा चुकी है। जिसमें से 119 योजनाओं में कार्यादेश जारी किया गया है तथा 21 कार्य प्रारंभ कर दिये गये है।

बैठक में कलेक्टर सिंह ने सोलर पम्प स्थापित करने के कार्यों की भी समीक्षा की। जिसमें धीमी प्रगति होने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जाहिर की और क्रेडा के ईई को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। बैठक में 16 सिंगल व रेट्रोफिटिंग, सोलर तथा नल-जल योजना के ऑनलाईन निविदा में अनुबंध करने तथा कार्यादेश जारी करने अनुमोदन दिया गया। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्ड टेस्टिंग किट व एफ्टूएस वायल्स कार्य के लिये प्राप्त निविदा का भी अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही बरमकेला विकासखण्ड के लेन्ध्रा में 2 करोड़ रुपये की लागत से रेट्रोफिटिंग कार्य के लिये प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

समूह जल प्रदाय योजनाओं तथा स्त्रोत जल आबंटन के तहत रायगढ़ जिले के विभिन्न विकासखण्डों में प्रस्तावित 6 समूह नल-जल प्रदाय योजनाओं हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा जल आबंटन की स्वीकृति जल्द प्रदान करने के निर्देश दिये कलेक्टर सिंह ने सभी संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को दिये। बैठक में स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, आश्रम तथा छात्रावास में रनिंग वाटर पहुंचाने के लिये किये जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। कलेक्टर सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को उक्त कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी.आदित्य, जिला महिला बाल विकास अधिकारी टी.के.जाटवर, उप संचालक कृषि एल.एम.भगत, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अविनाश श्रीवास, ईई जल संसाधन तापस मजूमदार सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

शहर के बीच जुआ खेल रहे जुआरियों से 27 हजार नकद बरामद

» जुआ फड पर पकड़े गये 6 जुआरियों पर जुआ एक्ट व लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज

रायगढ़। कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष नागर के नेतृत्व में आज दिनांक 07/06/2021 को कोतवाली पुलिस द्वारा शहर के मध्य संजय कंपलेक्स के पास अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जुआ खेल रहे 52 पत्ते के शौकीनों की घेराबंदी कर पकड़ा गया। सूचना कोतवाली टीआई को मिली थी जिस पर उनके द्वारा अपने स्टाफ के साथ घेराबंदी कर रेड किया गया, मौके पर जुआ खेलते 1-पवन जायसवाल पिता जगदीश जायसवाल उम्र 40 वर्ष बोईरदादर रायगढ़ 2- लक्ष्मण भास्कर पिता मनीराम भास्कर उम्र 36 वर्ष रामभांठा रायगढ़ 3- जितेन्द्र दाते पिता सहदेव दासे उम्र 38 वर्ष रामभांठा रायगढ़ 4- मनोज सतनामी पिता रामशीष सतनामी उम्र 40 वर्ष जूटमिल 5- राजकुमार बज्र पिता छोटे लाल बज्र 29 वर्ष रामभांठा रायगढ़ 6- दयाराम अग्रवाल पिता राजकुमार अग्रवाल रायगढ़ मिले जिनके फड एवं पास से 52 पत्ती ताश एवं 27 हजार रुपए नगद बरामद हुए हैं। कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट एवं लाकडाउन का उल्लंघन करने पर धारा 269, 270 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है।

नेतनागर जंगल में अवैध शराब भट्ठी पर जूटमिल पुलिस की कार्रवाई, मौके से 215 लीटर महुआ शराब, एक मोटर सायकल, शराब बनाने के पात्र जब्त

» 60 बोरी महुआ पास का मौके पर किया गया नष्टीकरण

रायगढ़। एसपी संतोष सिंह से अवैध शराब पर कार्रवाई करने के मिले दिशा निर्देशों पर जूटमिल टीआई अमित शुक्ला क्षेत्र में अपने विश्वसनीय मुखबिर लगाकर अवैध शराब की सूचना देने की निर्देशित किया गया है। करीब पांच दिन पहले उन्हें मुखबिर द्वारा नेतनागर जंगल भीतर गांव के लोग अवैध शराब महुआ शराब बनाने की सूचना दिया, जिस पर वे अपने स्टाफ को जाकर सूचना की तस्दीक करने निर्देशित किये। स्टाफ द्वारा तस्दीक कर टीआई को अवगत कराये कि जंगल भीतर से शराब की तीव्र दुर्गंध पर अवैध भट्ठी तक पहुंचे जहां आसपास कोई व्यक्ति उन्हें नहीं दिखा, जिसके बाद स्टाफ लगातार गांव आसपास नजर रखे हुये थे और कल दिनांक 06/06/2021 के शाम से कार्रवाई के लिए चौकी के 10 जवान नेतनागर रवाना हुये। आज मौका देखकर सुबह करीब 04 बजे टीआई अमित शुक्ला के नेतृत्व में टीम जंगल भीतर पहुंची, और मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान की चारों ओर से घेराबंदी किया गया जिसमें नेतनागर का मनबोध नाम का व्यक्ति मौके पर शराब बनाते पकड़ा गया। मौके पर पुलिस द्वारा 215 लीटर देशी महुआ शराब, 60 बोरी पास(रॉ मटेरियल) 04 नग जर्मन का घड़ा, एक मोटर सायकल आदि जप्त किया गया। जप्त 60 बोरी महुआ पास को मौके पर ही स्टाफ द्वारा नष्टीकरण कर पंचनामा बनाया गया। आरोपी मनबोध साव पिता घुरुव साव उम्र 39 वर्ष साकिन नेतनागर चौकी जूटमिल पूछताछ में अवैध बिक्री के लिये शराब बनाना तथा लगातार समय बदल कर जंगल में शराब बनाने आना बताया गया। आरोपी के विरूद्ध चौकी जूटमिल में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर आरोपी को न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है। इसके पहले भी जूटमिल पुलिस नेतनागर के जंगलों में अवैध शराब बनाए जाने की सूचना पर कार्यवाही की है।

कार्यवाही में चौकी प्रभारी निरीक्षक अमित शुक्ला, प्रधान आरक्षक मो. दिलदार कुरैशी, विजय गोपाल, नरसिंह नाथ यादव, आरक्षक बनारसी सिदार, सत्या यादव, किर्तन यादव, प्रताप बेहरा, श्याम सिदार, पदमेश डेंजरे, ओशनिक विश्वाल की सराहनीय भूमिका रही है।

पुलिस हेल्प डेस्क के जरिए जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए नागरिकों का एसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मान

» संकटकाल की ड्यूटी में सेवाभाव का परिचय देने वाले पुलिसकर्मियों को भी किया सम्मानित

रायगढ़। दूरदर्शी विचार रखने वाले पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा लॉकडाउन की स्थिति में असहाय, घूमंतू, दैनिक भोगी मजदूरों को विशेषकर भोजन की होने वाली समस्या के दृष्टिगत पुलिस हेल्प डेस्क प्रारंभ किया गया। जिला पुलिस द्वारा सक्षम लोगों के साथ जिले के समाजसेवी/धार्मिक संस्थाओं, कम्पनियों को जरूरतमंदों में वितरण हेतु मदद की अपील की गई, अपेक्षा अनुरूप पुलिस हेल्प डेस्क को काफी बड़ी संख्या में जिले के गणमान्य नागरिकों, राजनैतिक दलों, धार्मिक एवं समाजिक संस्थाएं, महिला समूह की प्रमुख लोगों द्वारा सूखा राशन, पका हुआ भोजन व अन्य आवश्यक सामग्रियां जरूरतमंदों में वितरण के लिये उपलब्ध कराई गई जिसे पुलिसकर्मियों द्वारा जरूरतमंदों में वितरण कर उन्हें कुछ राहत पहुंचाई गई। पुलिस हेल्प डेस्क के जरिए सामाजिक जिम्मेदारी निभाने वाले ऐसे 77 सम्मानीय नागरिक जो सामाजिक, धार्मिक, व्यवसयिक संस्थाओं, राजनैतिक दलों, महिला समूह के हैं, जिन्हें रायगढ़ पुलिस द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है, जिनकी सूची संलग्न है।

इसी क्रम में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इनमें से कुछ सीमित लोगों को पुलिस कंट्रोल रूम आमंत्रित किया गया था, जिन्हें पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया है। शेष अन्य सम्मानित नागरिकों को उनके क्षेत्र के पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, थाना प्रभारी के द्वारा सम्मानित किया जावेगा।

कोरोना दूसरी लहर में कानून व्यवस्था ड्यूटी के साथ लॉकडाउन का बखूबी पालन कराते हुए मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए आमलोगों की मदद करने वाले करीब दो दर्जन पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को भी पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला अफजाई किया गया है।

ऑटोमोबाईल के स्टैण्ड-एलोन शो-रूम के संचालन को मिली अनुमति

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने आदेश जारी कर जिले में कन्टेनमेंट जोन की अवधि को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये सशर्त ऑटोमोबाईल के स्टैण्ड-एलोन शो-रूम के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

जारी आदेश के तह शो-रूम का संचालन रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में प्रातः 6 बजे से सायं 5 बजे तक ही किया जा सकेगा। शो-रूम परिसर में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मॉस्क तथा शो-रूम में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनेटाइजर रखना तथा लोगों में जागरूकता हेतु शो-रूम परिसर में पोस्टर/बैनर लगाना अनिवार्य है। शो-रूम में कार्यरत सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा वैक्सीनेशन कराना आवश्यक है।

शो-रूम कार्यरत कर्मचारियों एवं उपस्थित होने वाले ग्राहकों को मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। शो-रूम में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु शो-रूम सील करने की कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

ओडिशा तालचेर से निकली 15.5 टन अवैध कबाड़ लोड़ ट्रक को कोतवाली पुलिस किया जब्त

» कबाड़ कारोबारी के अवैध तरीके से प्लांट में कबाड़ खपाने की थी योजना

रायगढ़। कबाड़ के अवैध कारोबारियों द्वारा कोतवाली क्षेत्र से अवैध कबाड़ लोड़ वाहन निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। नगर कोतवाल मनीष नागर के नेतृत्व में लगातार कोतवाली पुलिस अवैध कबाड़ परिवहन पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 07/06/2021 को पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देश पर कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष नागर एवं उनकी टीम द्वारा अवैध कबाड परिवहन में लगी ट्रक वाहन को प्लांट में अवैध तरीके से खपाए जाने के पूर्व ही मुख्य मार्ग उर्दना रोड पर आज दोपहर पकड़ा गया। कोतवाली टीआई को मुखबिर से मिली सूचना पर रायगढ़-पूंजीपथरा मुख्य मार्ग में उर्दना के पास नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग किया जा रहा था। इसी दरम्यान ट्रक क्रमांक एमपी 09-एचएच 1005 को रोककर चेक किया गया जिसके डाला में बड़ी गाड़ियों के पार्ट्स, ट्रक क्रेन के बॉडी, मशीनरी कटिंग करीब 15.500 टन कीमती 5 लाख 30 हजार रूपये का लोड़ था। चालक द्वारा ओडिशा के तालचेर से लाना तथा पूंजीपथरा के कंपनी में ले जाना बताया। वाहन चालक चालक रामस्वरूप यादव पिता भवर सिंह यादव उम्र 35 वर्ष निवासी बैतूल मध्य प्रदेश के पास ट्रक में लोड माल का कोई कागजात नहीं होने पर चोरी की सम्पत्ति के संदेह पर कोतवाली पुलिस द्वारा धारा 41(1+4) सीआरपीसी / 379 आईपीसी की कार्यवाही कर चालक को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में टीआई मनीष नागर, प्रधान आरक्षक श्यामदेव साहू, नंदू सारथी, आरक्षक बोधराम सिदार, प्रकाश तिवारी, राजू राम भगत की विशेष भूमिका रही। इसके पहले भी रायगढ़-पूंजीपथरा मार्ग पर कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध कबाड लोड़ वाहनों पर कार्यवाही की गई है।

एनडीपीएस एक्ट के फरार आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम से आरोपी के परिवार ने की हुज्जतबाजी

» आरोपी की पत्नी व बेटे पर एफआईआर दर्ज, फरार आरोपी को गिरफ्तार

तमनार। दिनांक 05/06/2021 को तमनार थाने के सहायक उप निरीक्षक दुर्गाचरण साहू , हमराह स्टाफ प्रआर उमाशंकर घृतांत, आरक्षक अरविंद पटनायक के साथ थाना तमनार के अप.क्र. 426/2020 धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के फरार आरोपी जनकराम डनसेना निवासी मिलूपारा की पतासाजी के लिये ग्राम मिलूपारा आरोपी के घर गये हुये थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी घर पर है। पुलिस के आरोपी के घर पहुंचने के बात आरोपी की खोजबीन में लग गए। तभी जनकराम डनसेना की पत्नि पदमा डनसेना और उसका लड़का पुलिसकर्मियों को अनावश्यक गाली गलौच करने लगे, जिन्हें शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने की समझाइश

स्टाफ द्वारा दी गई जिस पर दोनों मां-बेटे आरोपी की खोजबिन में व्यवधान कर पुलिस स्टाफ से धक्का-मुक्की करने लगे। इसी बीच आरोपी जनकराम डनसेना भागने की फिराक में था, जिसे पुलिस हिरासत में ली। आरोपी की पत्नी व बेटा द्वारा मौके में पुलिस स्टाफ के साथ किये गये अवैधानिक कृत्यों को लेकर सहायक उप निरीक्षक दुर्गाचरण साहू द्वारा थाना प्रभारी तमनार को आवेदन दिया गया है,जिस पर श्रीमती पदमा डनसेना और उसका बेटे के विरूद्ध अप.क्र. 179/2021 धारा 294, 186, 353, 332, 34 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी जनकराम डनसेना पिता स्व0 बोधराम डनसेना उम्र 47 वर्ष निवासी मिलूपारा थाना तमनार को एनडीपीएस के अपराध में न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, आरोपी के फरार रहने की स्थिति में धारा 173(8) जाफौ के तहत पूर्व में चालान न्यायालय पेश किया गया था। अप.क्र. 179/2021 के दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पृथक से की जावेगी।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480